

निर्णय ब इजलास कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़
प्रकरण संख्या 56/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

नितेश कुमार गुप्ता पुत्र श्रवण कुमार गुप्ता निवासी डाबला रोड़ आर्दश नगर, कोटपूतली।

....अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ ।

.....प्रत्यर्थी


अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 23.05.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जरिये ऑनलाईन पॉर्टल, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ के नाम आवेदन प्रेषित कर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा सूचना देने बाबत प्रार्थना पत्र लिखा गया था। लेकिन नियत समय गुजरने के बाद भी चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/138 दिनांक 21.05.2025 के द्वारा अवगत कराया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटपूतली द्वारा उनके पत्रांक आरटीआई/2025/55 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना दे दी गई है। अंत में राज्य लोक सूचना अधिकारी ने प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।
5. अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने उपस्थित होकर अपने जवाब में अंकित तथ्यों के आधार पर एवं अपीलार्थी को सूचना दी जाने से अपील सारहीन होना जाहिर किया। प्रत्यर्थी द्वारा पेश जवाब एवं दस्तावेज का अवलोकन करने पर अपील अपीलान्त खारिज योग्य होने से अपील खारिज की जाती है।
6. निर्णय की प्रति हरब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।
7. निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।




(कल्पना अग्रवाल)

आई.ए.एस.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़